

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या- 80 / 2023

प्रथम पक्ष :- 1. संजय महथा 2. तपन कुमार महथा दोनों पिता स्व० दुर्गा दास महथा, सा० छाताटांड, थाना चन्दनकियारी भोजुडीह ओ०पी०, जिला बोकारो।

—: बनाम् :-

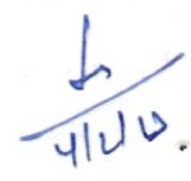
द्वितीय पक्ष :- 1. मनिन्द्र नाथ महथा 2. काली प्रसाद महथा दोनों पिता स्व० सुरेन्द्र नाथ महथा 3. चक्रधर महथा पिता अभिमन्यु महथा 4. ओम प्रकाश महथा पिता भरत लाल महथा, सभी सा० रंगाटांड, थाना चन्दनकियारी भोजुडीह ओ०पी०, जिला बोकारो।

कार्यवाही

चन्दनकियारी भोजुडीह ओ०पी० थाना अप्राथमिकी संख्या 09/22 जो पुलिस निरीक्षक चन्दनकियारी अंचल बोकारो से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्ष के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने दोनों पक्ष के विरुद्ध द०प्र०स० की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनों पक्ष के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०स० की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही दोनों पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 18.3.23 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये का बन्ध-पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख ग्रहित
18.3.23	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक - 3.5.23 को रखें। sdm Char	(2)
3.5.23	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक - 17.6.23 को रखें। sd 15/14	
17.6.23	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक - 12.7.23 को रखें। sdm Char	
12.7.23	Repeated absence of both parties indicates no predilection to pursue case any further. Case to be dropped. sd 12/7/23 dictated & corrected.	